अपील सूचना अधिकार संख्या 01/2022 (GCMS 2022/1(आईटीआई पोर्टल नं. 212363073618922) इन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार वीपीओ ... ताजा अबोहर– 152122 बनाम तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी इन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2021 से उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो उक्त लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी इन्द्र कुमार ने इस कार्यालय के नोटिस दिनांक 21.01.2022 के सम्बन्ध में संलग्नकों के साथ निम्नानुसार जवाब पेश किया है :

> अपील के पक्ष में निवेदन यह है कि सरकारी भूमि आवंटन पत्रावली पत्थर नं. 49/20, 49/29 चक 22 केडी घड़साना की सत्यापित प्रति लेने हेतु सम्पर्क करने पर तहसील घड़साना, छतरगढ, रावला, अनूपगढ के अधिकारी दूसरी तहसील या अभिलेखागार गंगानगर का नाम लेकर टालमटोल करते है। आरटीआई लगाने पर उसको निरस्त कर देते है या जवाब नहीं देते। अपील करने पर पीछे की तारीख डालकर रिकॉर्ड पूरा कर लिया जाता है। **एसडीएम अनूपगढ के ताजा भेजे पत्र 9380 तारीख 19.11.2021 है तथा प्रयोग हुए डाक लिफाफे पर लगी मुहर 24.01.2022 की है। आप स्वयं देख सकते है ... की तारीख डालकर मनमर्जी की** ... होती है लेकिन एसडीएम ... साधारण डाक का ... इसलिए किया ताकि पीछे की तारीख में रिकॉर्ड पूरा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2021 से तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:

> Provide me attested photocopy of copy of files(patrawali) number 2421 and 2422 dated 17.11.1997 send by incharge officer record branch collectorate Bikaner in fever of Deputy district collector anupgarh raj.

तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ ने अपने पत्रांक 445 दिनांक 09.02.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> **उक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र** द्वारा प्रेषित विषयक अपील के सम्बन्ध में निवेदन है कि अपील में वर्णित अपीलार्थी इन्द्र कुमार का सूचना का अधिकार का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2021 इस कार्यालय में आना नहीं पाया जाता है और ना ही अपील के साथ संलग्न है।
>
> अतः अपील निरस्त करने की कृपा करें।
>
> -sd-
>
> (महेन्द्र कुमार)
>
> तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 9380 दिनांक 19.11.2021 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

> उपरोक्त विषयान्त[illegible] है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम [illegible] आवेदन दिनांक 19.10.2021 किया गया था। [illegible] द्वारा आवेदन में वांछित सूचना से सम्बन्धित पूर्ण अनवान्, विवरण उपलब्ध नहीं

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करवाया गया है। जिसके कारण आप द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। फलतः आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किया गया आवेदन दिनांक 19.10.2021 को अस्वीकार किया जाता है।

-sd-
(प्रियंका तलानिया)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़

उक्त पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ ने दिनांक 19.11.2021 की तारीख अंकित की है जो अपीलार्थी को दिनांक 26.01.2022 को प्राप्त हुआ है और लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर साधारण डाक का प्रयोग किया है।

अपीलार्थी का उक्त आरोप सही साबित होता है क्योंकि अपीलाथी द्वारा उक्त पत्र के साथ लिफाफे की प्रति भी पेश की है जिस पर वर्ष 2022 अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को समयसीमा में कोई जवाब प्रेषित नहीं किया है।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है और तहसीलदार अनूपगढ़ ने अपील के जवाब में प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में आना नहीं पाया गया, अंकित किया गया है और अपीलार्थी को कोई जवाब नहीं दिया है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.01.2022 के साथ अपलीर्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार अनूपगढ़ को भिजवाये जाने का पत्र पत्रावली में उपलब्ध है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं तथा उपखण्ड अधिकारी ने वांछित सूचना से सम्बन्धित पूर्ण अनवान्, विवरण उपलब्ध नहीं करवाने के कारण अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ एवं तहसीलदार, अनूगपढ को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और **आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उससे पूर्ण विवरण प्राप्त करें और विवरण प्राप्त होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।** आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ एवं तहसीलदार, अनूगपढ को **पालनार्थ भिजवाई जावे तथा अपीलार्थी को भी सूचनार्थ भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तामील [illegible] हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर **खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर